युवाओं को कृषि के लिए प्रेरित और आकर्षित करने हेतु क्षेत्रीय सम्मेलन

ए.पी. शिंदे सम्मेलन कक्ष
एन.ए.एस.सी. परिसर, पूसा, नई दिल्ली–110012
30–31 अगस्त 2018

माया रोड मैप

आयोजक

ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस (टास)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.)
एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ)
एशिया–पेसेफिक एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस (एपारी)
स्किल इंडिया, एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई)
यंग–प्रोफेशनल्स फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (यपार्ड)
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

युवाओं को कृषि के लिए प्रेरित और आकर्षित करना

रोडमैप/भावी दिशा

प्रस्तावना

ऐसी संभावना है कि वर्ष 2025 तक विश्व की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ हो जाएगी। ग्रामीण जनसंख्या की बढ़ती हुई आयु, कृषि से बाहर बेहतर अवसर तथा घटते हुए प्राकृतिक संसाधन वर्तमान में कुछ ऐसी चिंताएं उत्पन्न कर रही हैं जिनसे यह प्रश्न खड़ा होता है कि भविष्य में विश्व को भोजन कौन उपलब्ध कराएगा। ऐसी परिस्थितियों में यह चिंता होना स्वाभाविक है कि टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा? इस संदर्भ में कृषि की वृद्धि में तेजी लाने में युवाओं (महिलाओं और पुरूषों दोनों की) की भूमिका को कमतर नहीं आंका जा सकता है। वास्तव में उन देशों ने तेजी से प्रगति की है जहां के युवाओं को सृजनात्मक, द्वितीयक और विशेषज्ञतापूर्ण कृषि जिसे सक्षम नीतियों का भी समर्थन मिला हो, में शामिल करते हुए प्रेरित किया गया है।

भारत में वर्तमान में 10–24 वर्ष आयु समूह के 3.56 करोड़ युवा है जो कि विश्व में सबसे अधिक है (यूएन रिपोर्ट, 2014) और चीन के युवाओं (2.69 करोड़) से भी अधिक है। इससे उज्ज्वल भविष्य परिलक्षित होता है क्योंकि इसमें से लगभग आधी जनसंख्या (लगभग 2 करोड़) ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जिन्हें कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में व्यवसाय अपनाने के लिए प्रेरित और आकर्षित किया जाना चाहिए। तथापि इसके विपरीत, दुर्भाग्य यह है कि केवल लगभग 5 प्रतिशत ग्रामीण युवा ही कृषि में कार्यरत हैं। इसका कारण यह है कि वे कृषि को सृजनात्मक, लाभदायक और इस सबसे बढ़कर ऐसा सम्मानपूर्ण व्यवसाय नहीं पाते हैं जिसे वे अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवा वर्ग वैकल्पिक रोजगार/विकल्पों की संभावना में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहा है। इसके अलावा युवाओं को कृषि में प्रेरित और आकर्षित करने के लिए कोई स्पष्ट कार्यनीति तथा सक्षम वातावरण भी नहीं है। युवाओं के समक्ष मुख्यतः घटिया बुनियादी ढांचा है, शिक्षा संबंधी सुविधाओं की कमी है, विशेष रूप से कौशल विकास के अवसर तो व्यावहारिक रूप से हैं ही नहीं, प्रोत्साहनों और पुरस्कारों की कमी है, भूमि स्वामित्व संबंधी समस्याएं हैं, ऋण की सुविधाएं और उसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, साथ ही मूल्य श्रृंखला का न होना और किसानों का बाजार से उचित सम्पर्क न होना भी इसका एक कारण है। इसके अलावा वर्तमान में कृषि के समक्ष अनेक गंभीर चुनौतियां हैं जैसे प्राकृतिक संसाधनों (भूमि, जल और कृषि जैवविविधता का आवश्यकता से अधिक दोहन), कारक उत्पादकता में आने वाली गिरावट, निवेशों का महंगा होना, कम आमदनी तथा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण उत्पादन में अनिश्चितता।

ऐसे परिदृश्य में युवाओं को कृषि में शामिल करना एक चुनौती है क्योंकि वे परंपरागत कृषि की बजाय प्रगत प्रौद्योगिकियों को अपनाने/नए विचारों को ग्रहण करने की दिशा में अधिक ऊर्जावान, नवोन्मेषी और सुग्राहक हैं। इसके अतिरिक्त उनमें जोखिम उठाने का साहस भी है जो किसी भी नए उद्यम को अपनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही वर्तमान कृषि के लिए

बुद्धिमानी तथा कठोर परिश्रम की आवश्यकता है और साथ ही दृढ़ इच्छा शक्ति व प्रतिबद्धता की भावना भी होनी चाहिए। अतः भावी कार्यनीति युवाओं को काम खोजने की बजाय काम देने वाले युवा के रूप में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित करना होनी चाहिए।

इस संदर्भ में ऐसे युवाओं को कृषि की दिशा में प्रेरित करने व आकर्षित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है जो न केवल ऊर्जावान हैं बल्कि नई खोजों के प्रति सकारात्मक रुझान रखने को भी इच्छुक हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब वांछित ज्ञान और शिक्षा, तकनीकी कौशल, स्थायी प्रोत्साहन तथा सक्षम नीति संबंधी पर्यावरण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही वांछित नीतियों, नई खोजों और प्रतिदानों की भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है ताकि युवा प्रतिभाओं को ऐसी नवोन्मेषी खेती करने की दिशा में आकर्षित किया जा सके जो न केवल लाभदायक और टिकाऊ हो बल्कि सम्मानजनक भी हो। इस प्रकार, नई कार्यनीति ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा वर्तमान कृषि को फसल आधारित मॉडल के स्थान पर फार्मिंग प्रणाली मोड में परिवर्तित किया जाए जिसके अंतर्गत 'खेत से थाली तक' के दृष्टिकोण पर बल दिया जा सके जो अधिक प्रासंगिक, दक्ष, मांग के अनुकूल, उत्पादक, प्रतिस्पर्धात्मक और लाभप्रद हो। इससे सभी के लिए खाद्य, पोषणिक और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए जो टिकाऊ विकास के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः युवाओं को कृषि में प्रेरित और आकर्षित करने के लिए एक स्पष्ट भावी दिशा तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है। ऐसी उपयुक्त क्रियाविधि विकसित की जानी चाहिए जो इसे प्रभावी रूप से व तेजी से कार्यान्वित करने में सफल हो, और जिससे विशेष रूप से दक्षिण एशियाई देशों में कृषि के विकास में तेजी लाई जा सके।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत तथा कुछ दक्षिणी एशियाई देशों (अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और श्रीलंका) जो अपनी–अपनी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणालियों (नार्स), निजी क्षेत्र, सिविल सोसायटी संगठनों (गैर–सरकारी संगठनों) तथा कृषक संगठनों के प्रतिनिधियों, प्रगतिशील किसानों, उद्यमियों, नीति–नियोजकों, अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों के परामर्शदायी समूह (सीजीआईएआर) तथा विकास विभाग के प्रतिनिधियों सहित 227 प्रतिभागियों ने एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में 30–31 अगस्त 2018 को कृषि में युवाओं को प्रेरित व आकर्षित करने से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस (टास), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.), एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ), एशिया–पेसेफिक एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस (अपारी), यंग प्रोफेशनल्स फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमैंट (यापार्ड) स्किल इंडिया, स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (एससीआई), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सम्मिलित रूप से आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य थे : (i) कृषि के सकल विकास में तेजी लाने में युवाओं की भूमिकाओं का मूल्यांकन करना, (ii) उद्यमशीलता के विभिन्न सफल मॉडलों के प्रति सम्पर्क उपलब्ध कराना, (iii) ग्रामीण परामर्शी सेवाओं में युवाओं की भूमिका को समझना तथा ज्ञान के संदर्भ में किसानों को बाजार से जोड़ना, (iv) वांछित नीतियों को अनुकूल बनाने के लिए सुझाव देना और युवाओं को कृषि में आकर्षित व प्रेरित करना तथा (v) सहयोग और साझेदारी के लिए क्षेत्रीय मंच तैयार करने की संभावनाओं को तलाशना।

रोडमैप/भावी दिशा

टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने के लिए दक्षिण एशिया के सभी देशों को 'कृषि में वृद्धि में तेजी लाने के लिए युवाओं की भूमिका' के लिए एक ठोस कार्यनीति

विकसित करके उसे बढ़ावा देना चाहिए जिसके लिए युवाओं को आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि के विकास के लिए अनेक अवसर प्रदान करने हेतु 'भावी दिशा' तय की जानी चाहिए जिसके लिए इस सम्मेलन में निम्नानुसार प्रस्ताव किए गए :

- युवाओं को निम्न विषयों पर बेहतर ज्ञान और कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से **'कृषि में युवाओं पर राष्ट्रीय मिशन'** को स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है : (i) टिकाऊ, द्वितीयक और विशेषज्ञतापूर्ण कृषि, (ii) सूचना संचार प्रौद्योगिकी सहित ज्ञान का कुशलतापूर्वक प्रचार–प्रसार, (iii) नवोन्मेषी कृषि के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, (iv) नए कृषि व्यापार मॉडल उपलब्ध कराना तथा मूल्य श्रृंखला के माध्यम से किसानों को बाजार से जोड़ने के साथ–साथ उद्यमशीलता। इस मिशन के अंतर्गत नवोन्मेषी कृषि के लिए औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों प्रकार की शिक्षाओं के माध्यम से युवाओं में नए कौशल विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प विद्यालय के स्तर से ही विद्यार्थियों को कृषि शिक्षा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों को व्यावसायिक तथा औपचारिक डिप्लोमा कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमशीलता संबंधी प्रशिक्षणों की शुरूआत करनी चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है, ताकि उभरती हुई आवश्यकताओं व वर्तमान युवाओं की आकांक्षाओं व बाजारों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

- **'युवा–कृषि बंधन'** के लिए ऐसे नए अनुसंधान एजेंडे को विकसित करने की आवश्यकताओं पर प्राथमिकताओं के आधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनसे (i) युवाओं के लिए अनुकूल कृषि अनुसंधान हेतु विभिन्न संदर्भों को रेखांकित किया जा सके, और (ii) विकास के लिए कृषि अनुसंधान तथा नवोन्मेष में युवाओं को उपलब्ध होने वाले अवसरों की पहचान की जा सके और (iii) टिकाऊ कृषि वृद्धि तथा आय प्राप्त करने के लिए युवाओं के भावी पथ को निर्धारित किया जा सके।

- **'खेत से प्लेट तक'** पहल में युवाओं को शामिल करने से किसानों की आय दुगुनी करने में सहायता मिल सकती है। अतः उद्यमियों के रूप में युवाओं को अधिक से अधिक शामिल करना भावी वृद्धि तथा विकास की पूंजी होगी। इसके लिए ज्ञान में भागेदारी/प्रचार–प्रसार के लिए नेटवर्किंग, प्रौद्योगिकी पार्कों/नवोन्मेष मंचों का उपयोग करके सत्यापन के माध्यम से नई–नई खोजों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में युवाओं की प्रतिभागिता, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृषि क्लीनिकों का सृजन, परामर्श देने/साथ निभाने में अति वांछित सहायता प्रदान करना और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संबंध में जागरूकता लाना युवाओं पर प्रस्तावित इस मिशन के अनिवार्य घटक होने चाहिए।

- **'किसान के रूप में युवा'** के स्थान पर **'मूल्य श्रृंखला विकासकर्ता के रूप में युवा'** पर अधिक ध्यान देते हुए इस क्षेत्र में बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तित होते हुए कृषि परिदृश्य में ग्रामीण युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्लॉट/खेत स्तर की कृषि से भी आगे जाने की आवश्यकता है। अर्थात् हमें उत्पादन से उत्पादन के बाद के स्तर तक ध्यान देना होगा तथा आय के बेहतर अवसर तैयार करने के लिए युवाओं को बाजार के साथ जोड़ना होगा। कृषि मूल्य श्रृंखलाओं, प्रौद्योगिकी तथा उद्यमशीलता के गठबंधन से फार्म तथा फार्म इतर, दोनों क्षेत्रों में युवाओं के लिए व्यापक आर्थिक अवसर उपलब्ध हो जाएंगे और इस प्रकार युवा छोटे और सीमांत किसानों को

किराए पर सेवाएं देने के लिए कृषि सेवा केन्द्रों को गठित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे जिससे कम लागत पर उत्पादन बढ़ाने हेतु वे कृषि स संबंधी कार्यों में यंत्रीकरण को अपना सकेंगे।

- ई–नाम, स्टार्ट–अप, स्टैंड–अप और कृषि विकास संबंधी योजनाओं, कृषि–व्यापार उद्यमों के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में विशेषज्ञता से युक्त भली प्रकार प्रशिक्षित तथा सक्षम युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, युवा जगत को दीर्घावधि निवेशों, आसान और सुगम ऋणों की उपलब्धता, उद्यमों के लिए अनुदान के प्रावधान, किसानों के पारस्परिक सम्पर्क के लिए एक–दूसरे के यहां भ्रमण, बाजार तक आसान पहुंच, उद्यमियों के लिए भूमि कानून में सुधार, युवाओं को शामिल करते हुए ग्रामीण आधारित प्राथमिक मूल्यवर्धन में कोई कर न लगाना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा कृषि क्लीनिक सहायत प्रणाली की समीक्षा, विपणन संबंधी कानूनन सुधार जैसे कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम को समाप्त करना, 'स्टार्ट–अप' उद्यमों के जोखिम को ध्यान में रखते हुए तत्काल बीमे का प्रावधान आदि जैसी सक्षम नीतियों की तत्काल व अत्यधिक आवश्यकता होगी ताकि युवाओं को कृषि में कार्यरत रखा जा सके।

- निजी क्षेत्र को अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को अनुभव करते हुए तथा विशेष परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण रोजगार में अति वांछित वृद्धि करने के लिए **'कृषि–युवा नवोन्मेष कॉर्पस निधि'** सृजित करने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। ऐसे प्रयास से छोटे कृषि–व्यापार स्टार्ट–अप, सार्वजनिक–निजी तथा सार्वजनिक–सार्वजनिक उद्यमशीलता के माध्यम से ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह क्षेत्र आसान ऋणों के माध्यम से तथा भुगतान पर दी जाने वाली विस्तार सेवाओं के साथ–साथ निवेश डीलरों/आपूर्तिकर्ताओं के रूप में ग्रामीण युवाओं को शामिल करने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की निगरानी में भी सहायता कर सकते हैं।

- **'प्रोत्साहनों के संस्थानकरण'** और **'पुरस्कार/प्रतिदान प्रणाली'** को शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि अत्यधिक सफल कृषि उद्यमियों तथा नवोन्मेषियों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जा सके। इससे युवा वर्ग व्यवसाय के रूप में कृषि को अपनाने के लिए प्रेरित और आकर्षित होगा और वे खेती के माध्यम से सुखी जीवन बिता सकेंगे। इस प्रकार का दृष्टिकोण स्थानीय, राज्य, देश तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यनीति की दृष्टि से प्राथमिकता पर आधारित होना चाहिए, ताकि कृषि में युवाओं के नेतृत्व में सकल विकास सुनिश्चित हो सके।

- युवा कृषि उद्यमियों का नई खोजों की सफलता की गाथाओं/उदाहरणों को प्रकाशित करते हुए उनका व्यापक प्रचार–प्रसार करने की आवश्कयता है। ऐसे चुने गए अध्ययनों को भली प्रकार प्रलेखित करते हुए सुंदरता से प्रकाशित किया जाना चाहिए। सफल उद्यमियों को रोल मॉडल के रूप में कार्य करने तथा अन्य युवाओं को उनके ही जैसा सफल बनाने के लिए उनकी क्षमता के विकास/तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने में सहायता करनी चाहिए। इस संदर्भ में देश के विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों से कृषि के विभिन्न पहलुओं में युवाओं के नेतृत्व में प्राप्त की गई सफलता की गाथाओं का एक संकलन भी प्राथमिकता के आधार पर निकाला जाना चाहिए और उसे अन्य लोगों के लिए सुलभ बनाना चाहिए।

- यही उचित समय है जब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को एक अलग **'कृषि कार्यरत युवाओं का विभाग'** सृजित करना चाहिए। इससे अन्य मंत्रालयों जैसे विज्ञान एवं

प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण विकास, वाणिज्य एवं उद्योग, रसायन एवं उर्वरक आदि के बीच संबंधित विभागों में बेहतर सहयोग व समन्वयन सुनिश्चित होगा। प्रस्तावित **'कृषि में युवाओं पर मिशन'** के माध्यम से निधि संबंधी सहायता से युक्त ऐसी संस्थागत संरचना से युवाओं को कृषि व अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रेरित करने तथा उनकी ओर आकर्षित करने में सहायता प्राप्त होगी।

- एशिया–पेसिफिक एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस (अपारी), ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस (टास), यंग प्रोफेशनलल्स फार एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (यापार्ड), आदि जैसे वैश्विक/क्षेत्रीय/राष्ट्रीय संगठनों की सुविधा कारक भूमिका के माध्यम से **'कृषि में युवाओं पर क्षेत्रीय मंच'** स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ज्ञान में भागेदारी हो सके, क्षमता का विकास हो, साझेदारी व नीति तैयार हो सके। यह सब कुछ युवाओं को उनकी क्षमता के विकास व उद्यमशीलता के लिए उनमें विश्वास भरने हेतु एक निष्पक्ष मंच उपलब्ध कराने में सक्रिय भूमिका निभाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
- हमें यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि आज के युवाओं (महिलाओं और पुरुषों) की सोच तथा दृष्टिकोण अलग है। दुर्भाग्य से 'आकांक्षाओं–उपलब्धियों में अंतराल' विद्यमान है। इसलिए, युवाओं की आकांक्षाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना होगा। वे बौद्धिक स्तर पर संतुष्ट होना चाहते हैं, व्यापारिक स्तर पर गतिशील होना चाहते हैं और सामाजिक गतिविधियों में सशक्त होने की कामना करते हैं। यह सब कुछ किसी भी राष्ट्र की भावी वृद्धि तथा विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः सभी संबंधित पक्षों की संस्थागत सहायता तथा अनुकूल नीति के माध्यम से सक्षम वातावरण तैयार करने की अत्यधिक आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण टास के प्रकाशन

- जीएम खाद्य फसलों के लिए हितधारकों की परिचर्चा – अनुशंसाएं, 19 मई 2011।
- 'भारत के कृषि विकास हेतु ज्ञान का उपयोग' विषय पर टास स्थापना दिवस व्याख्यान – व्याख्याता : डॉ. उमा लेले, 12 अगस्त 2011।
- किसानों द्वारा की गई नई खोजें – कार्यवृत्त और अनुशंसाएं, 23–24 दिसम्बर 2011।
- हमारे पादप आनुवंशिक संसाधनों के बारे में वर्तमान चिंताओं से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि का कार्यान्वयन – डॉ. आर.एस. परोदा द्वारा प्रस्तुत कार्यनीति पत्र, 23 जनवरी 2012।
- कृषि में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन – कार्यवृत्त एवं अनुशंसाएं, 13–15 मार्च 2012।
- डॉ. शेनगेन फान, महानिदेशक, आईएफपीआरआई द्वारा 'एशिया में खाद्य एवं पोषणिक सुरक्षा सुनिश्चित करना – कृषि नवोन्मेषक की भूमिका' पर सातवां स्थापना दिवस व्याख्यान, 11 जनवरी 2013।
- डॉ. आर.एस. परोदा द्वारा 'भारतीय बीज क्षेत्र : भावी दिशा' पर भारतीय बीज कांग्रेस 2013 में दिया गया विशेष व्याख्यान, 8 फरवरी 2013।
- युवाओं के माध्यम से कृषि अनुसंधान की पूर्व दृष्टि व भावी पथ – कार्यवृत्त एवं अनुशंसाएं, 1–2 मार्च 2013।
- बढ़ी हुई दक्षता के लिए हमारे जल संसाधन का प्रबंध – डॉ. आर.एस. परोदा द्वारा प्रस्तुत कार्यनीति पत्र, 28 मई 2013
- किसानों को मंडियों से जोड़कर सकल वृद्धि प्राप्त करने पर विचार–मंथन – कार्यवृत्त एवं अनुशंसाएं, 24 जून 2013।
- भारतीय तिलहन परिदृश्य; चुनौतियां एवं अवसर – डॉ. आर.एस. परोदा द्वारा प्रस्तुत कार्यनीतिपरक पत्र, 24 अगस्त 2013।
- फार्म नव–प्रवर्तनों के अनुकूलन पर राष्ट्रीय कार्यशाला – कार्यवृत्त एवं अनुशंसाएं, 3–5 सितम्बर 2013।
- घरेलू खाद्य एवं पोषणिक सुरक्षा के लिए सोयाबीन पर विचारोत्तेजक कार्यशाला; कार्यवृत्त एवं अनुशंसाएं, 21–22 मार्च 2014।
- 'टिकाऊ कृषि विकास – आईएफएडी के अनुभव' विषय पर डॉ. कनायो एफ. नवांजे, अध्यक्ष, आईएफएडी, का आठवां स्थापना दिवस व्याख्यान, 5 अगस्त 2014।
- एशिया में त्वरित कृषि बढ़वार के लिए विस्तार के साथ अनुसंधान को जोड़ने की आवश्यकता – डॉ. आर.एस. परोदा द्वारा प्रस्तुत कार्यनीतिपरक पत्र, 25 अगस्त 2014।
- पोषणिक सुरक्षा को बढ़ाने मक्का की गुणवत्ता प्रोटीन बढ़ाने के लिए – अनुशंसाएं, 21–22 मई 2015।
- '21वीं सदी में टिकाऊ मक्का एवं गेहूं उत्पादन के लिए चुनौतियां एवं अनुसंधान अवसर' पर डॉ. थॉमस ए. लम्पकिन, पूर्व महानिदेशक, सिमिट, द्वारा 9वां स्थापना दिवस व्याख्यान, 28 सितम्बर 2015।
- 'मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए दक्ष प्रंध पर राष्ट्रीय संवाद – नई दिल्ली मृदा स्वास्थ्य घोषणा– 2015, 28–29 सितम्बर 2015।
- कृषि वानिकी : प्रगति पथ पर क्षेत्रीय परामर्श, कृषि वानिकी 2015 पर नई दिल्ली कार्य योजना, 8–10 अक्तूबर 2015।
- किसानों के सशक्तिकरण व कल्याण के लिए नवीनीकृत विस्तार प्रणालियां – नवीनीकृत कृषि विस्तार प्रणाली के लिए भावी दिशा पर राष्ट्रीय संवाद, 17–19 दिसम्बर 2015।
- कृषि तथा संबंधित मुद्दों पर बायोटैक नवोन्मेष को बढ़ाने के लिए गोलमेज वार्ता – कार्यवाही एवं अनुशंसाएं, 4 अगस्त 2016।
- पहुंच तथा लाभ में भागीदारी – सही संतुलन बनाने पर जागरूकता एवं विचार मंथन बैठक – कार्यवृत्त 22 अक्तूबर 2016।
- कृषि जैवविविधता प्रबंध पर दिल्ली घोषणा – अंतरराष्ट्रीय कृषि जैवविविधता कांग्रेस 2017 का परिणाम, 6–9 नवम्बर 2016।
- टिकाऊ विकास के लक्ष्य : भारत की तैयारी तथा कृषि की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन, 11–12 मई 2017।
- टिकाऊ गहनीकरण के लिए संरक्षण कृषि को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने पर क्षेत्रीय नीति संवाद, 8–9 सितम्बर 2017।
- दक्षिण एशिया में संरक्षण कृषि को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने पर संक्षेप में नीति, सितम्बर 2017।
- रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ डबलिंग मेज प्रोडक्शन एंड फार्मर्स इन्कम – डॉ. एन.एन. सिंह द्वारा तैयार किया गया कार्यनीति पत्र, 10 सितम्बर 2017।
- इंडियन एग्रीकल्चर फॉर एचीविंग सस्टीनेबल डेवलपमेंट गोल्स – डॉ. आर.एस. परोदा द्वारा तैयार किया गया कार्यनीति पत्र, अक्तूबर 2017।
- भारतीय कृषि में दक्ष पोटेशियम प्रबंधन पर नीति का संक्षिप्त विवरण – अगस्त 2017।
- किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए कार्यनीति – डॉ. आर.एस. परोदा द्वारा तैयार किया गया कार्यनीति पत्र, फरवरी 2018।
- भारत में पशुधन विकास – कार्यनीतिपरक पेपर – डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, सदस्य, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल एवं ट्रस्टी, टास, फरवरी 2018।
- प्राकृतिक संसाधन, जलवायु परिवर्तन तथा वायु प्रदूषण के प्रबंधन के लिए कृषि नीतियां तथा निवेश प्राथमिकताओं की नीतियों का संक्षिप्त विवरण – अप्रैल 2018।
- कृषि विकास के लिए महिला सशक्तिकरण – कार्यनीतिपरक पेपर – डॉ. आर.एस. परोदा, मई 2018।

taas
Progress Through Science

For Copies Contact :

ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस (टास)

एवेन्यू–II, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा परिसर,
नई दिल्ली – 110 012, भारत
दूरभाषः +91–11–25843243; 8130111237
ई–मेलः taasiari@gmail.com; वेबसाइटः www.taas.in

Printed in November, 2018